दिल्ली में रिहायशी इलाकों का वर्गीकरण

May 2015

CITIES OF DELHI

citiesofdelhi.cprindia.org

POLICY BRIEF

दिल्ली में रिहायशी इलाकों को अलग–अलग श्रेणियों में रखा गया है। ये इलाके औपचारिकता, कानूनी दर्जे और भूमि सम्बन्धी अधिकारों के आधार पर इन श्रेणियों में बांटे जाते हैं। सिटीज ऑफ डेल्ही भारत में शहरी परिवर्तन पर एक बड़ी परियोजना का एक हिस्सा है। यह बहुत बारीकी से यह दर्ज करने का प्रयास करता है कि बुनियादी सुविधाओं का स्तर और उन्हें प्राप्त करने की प्रक्रिया किस प्रकार अलग–अलग श्रेणियों में आने वाले इलाकों में, अलग रहती है। प्रणीति अनुसन्धान केंद्र के शोधकर्ताओं द्वारा किया जाने वाला यह शोध, यह समझने का प्रयास करता है कि इस शहर के निवासी किस प्रकार अपने चुने हुए प्रतिनिधियों, सरकारी संस्थाओं और अन्य प्रतिनिधियों के जरिये सार्वजानिक सुविधाएं प्राप्त करने का प्रयास करते हैं।

यह परियोजना तीन तरह की रिपोर्टों के माध्यम से इस शहर का शासन किस प्रकार चलता है पर एक विस्त्रत चित्र प्रस्तुत करने का प्रयास करती है, और खासकर यह समझने की कोशिश करती है कि यह किस प्रकार गरीबों को प्रभावित करता है। इस प्रयास में सबसे पहले झुग्गी–झोंपड़ी बस्तियां (जेजेसी) अनाधिकृत कॉलोनियों और पुनर्वास कॉलोनियों पर बहुत ध्यान से चुनी हुई केस–स्टडियों का एक समूह हैं। केस–स्टडियों का दूसरा समूह उन विभिन्न प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालता हैं जिनके जरिये महत्वपूर्ण सरकारी संस्थाएँ निवासियों के साथ काम करती हैं। रिपोर्टों का तीसरा समूह कुछ चुनिन्दा सरकारी एजेंसियों पर ध्यान केन्द्रित करता है। सभी रिपोर्टें तैयार होते ही सार्वजनिक की जाती हैं।

सिटिज ऑफ डेल्ही के निदेशक पैट्रिक हेलर और पार्था मुखोपाध्याय हैं। इसके सयोंजक शहाना शेख और सुभद्रा बाँदा हैं। सिटीज ऑफ डेल्ही को आर्थिक सहायता ब्राउन विश्वविद्यालय और भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान परिषद् (आईसीएसएसआर) से प्राप्त हुई है।

प्रणीति अनुसंधान केन्द्र

WWW.CPRINDIA.ORG

नीति और शहरी नियोजन से जुड़े दस्तावेजों के अनुसार, दिल्ली में आठ प्रकार के रिहायशी इलाके हैं, इनमें से केवल एक प्रकार के रिहायशी इलाकों को "नियोजित" कहा जाता है। इस एक रिहायशी इलाके के अलावा बाकी सातों प्रकार के रिहायशी इलाके अनियोजित हो जाते हैं। इन अनियोजित रिहायशी इलाकों में दिल्ली की आबादी का एक बड़ा हिस्सा रहता है– इसमें दक्षिणी दिल्ली के संपन्न फार्म हाउसों व सफल उद्यमियों के घरों वाली बेहतरीन कॉलोनियों से लेकर शहरी गरीबों की बस्तियाँ शामिल हैं।

इन सातों रिहायशी इलाकों में रहने वाली आबादी के अनुमान का उल्लेख सबसे पहले दिल्ली अर्बन इनवायरमेंट एंड इन्फ्रास्टक्चर इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट (डी.यू.ई.आई.आई.पी) द्वारा साल 2001 में प्रकाशित दस्तावेज में किया गया था। डी.यू.ई.आई.आई.पी. दिल्ली सरकार के योजना विभाग और केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का एक साझा प्रयास था जिसे आर्थिक सहायता विश्व बैंक से मिली थी। इसका मकसद साल 2021 के लिये दिल्ली के शहरी बुनियादी ढांचे और पर्यावरण में सुधार के लिये योजना तैयार करना था। डी.यू.ई.आई.आई.पी. द्वारा जारी आबादी के इन आंकड़ों में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि साल 2000 में दिल्ली की एक चौथाई से भी कम आबादी नियोजित कॉलोनियों में रह रही थी। यह आंकडें नीचे दिए गए है।

रिहायशी इलाकों का प्रकार	साल 2000 में आबादी का आंकलन	कुल आकलित आबादी का प्रतिशत
झुग्गी–झोपड़ी बस्तियां	20.72 लाख*	14.8
स्लम डेजेगनेटेड एरिया	26.64 लाख	19.1
अनाधिकृत कॉलोनियां	7.40 लाख	5.3
झुग्गी–झोपड़ी पुनर्वास कॉलोनियां	17.76 लाख	12.7
नियमित–अनाधिकृत कॉलोनियां	17.76 लाख	12.7
ग्रामीण गांव	7.40 लाख	5.3
षहरी गांव	8.88 लाख	6.4
नियोजित कॉलोनियों	33.08 लाख	23.7
कुल	139.64 लाख	100

* 1 लाख = 1,00,000

साल 2001 के बाद, दिल्ली सरकार ने साल 2001–02, 2005–06 और 2008–09 के अपने वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षणों में इस सूची का उल्लेख किया है। साल 2005–06 और 2008–09 के आर्थिक सर्वेक्षणों में, इस सूची से ठीक पहले लिखी गयी पंक्तियों में इस बात को स्वीकार किया गया है कि किफायती आवासों की कमी और 'अनियोजित' रिहायशी इलाकों की बढ़ रही संख्या एक दूसरे से जड़े रहे हैं

> एक तरफ विभिन्न वर्गों के निवासियों के लिये किफायती दामों पर उपलब्ध जमीन में कमी और दूसरी तरफ लगातार दिल्ली में आने वाले प्रवासियों के प्रवाह की वजह से विभिन्न तरह के अनियोजित रिहायशी इलाके अस्तित्व में आये हैं। रिहायशी इलाकों के निम्नलिखित प्रकार दिल्ली के भू–दृश्य का एक विशेष लक्षण हैं। ये इलाके नागरिक सुविधाओं के स्तर और घरों व जमीनों की स्थिति के आधार पर एक दूसरे से अलग हैं।

रिहायशी इलाकों का इस तरह का वर्गीकरण 2021 के दिल्ली के मास्टर प्लान के एक अनुच्छेद में भी है। इस अनुच्छेद में दिल्ली के अनियोजित इलाकों के लिये योजना का खाका दिया गया है।

परिभाषायें और संख्यायें

नियोजित कॉलोनियां

नियोजित कॉलोनियों को "एप्रूव्ड" (मंजूर) कॉलोनियां भी कहा जाता है। ये रिहायशी इलाके ऐसी जमीन पर हैं जिसे दिल्ली के मास्टर प्लान (और/अथवा संबंधित ज़ोनल प्लान) में "डेवलपमेंट एरिया" के रूप में चिन्हित किया गया है। निर्माण के वक्त, इन इलाकों में बने मकान शहरी नियोजन के नियमों का पालन करके बनते हैं व इनको पानी की पाइपलाइन और सीवेज सिस्टम जैसी सुविधायें मिली होती हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा बनाये गए रिहायशी इलाके इस श्रेणी का एक उदाहरण हैं।

स्लम डेज़ेगनेटेड इलाके

केवल स्लम डेजेगनेटेड इलाके (एस.डी.ए.) ही दिल्ली के ऐसे रिहायशी इलाके हैं जिन्हें तकनीकी तौर पर 'स्लम' कहा जा सकता है। कोई रिहायशी इलाका स्लम डेजेगनेटेड इलाके की श्रेणी में तभी आता है, जब उसको 1956 के स्लम एरियाज (इम्प्रूवमेंट एंड क्लीयरेंस) एक्ट के तहत अधिसूचित किया गया जाए। आज की पुरानी दिल्ली और तत्कालीन शाहजहानाबाद के सभी हिस्सों और उसके विस्तार को एस.डी.ए. के तहत अधिसूचित किया गया है। इसमें लगभग 1,00,00 कटरे हैं जिनमें 10,00,000 परिवार रहते हैं। यह गौर करने वाली बात है कि इन कटरों में से 97 फीसदी निजी संपत्ति हैं। एक बार अधिसूचित होने पर, इन इलाकों को बुनियादी सुविधायें मिलना तय हो जाता हैं और इसके निवासियों को अधिकार मिल जाता है कि इन इलाकों को खाली कराने की स्थिति में उनको तय प्रक्रिया के अनुसार नोटिस मिले। साल 1994 से किसी भी इलाके को एस.डी.ए की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है।

झुग्गी–झोपड़ी बस्तियां

हालांकि आधिकारिक तौर पर किसी भी इलाके को पिछले दो दशकों से भी अधिक समय में 'स्लम' के रूप में चिन्हित नहीं किया गया है, इसके बावजूद पूरी दिल्ली में स्लम जैसे रिहायशी इलाकों की संख्या बढ़ती रही है। इन गैर–अधिसूचित बस्तियों को दिल्ली सरकार झुग्गी–झोपड़ी बस्ती (जे.जे.सी.) कहती है। इन रिहायशी इलाकों को 'सार्वजानिक जमीन' पर अनाधिकृत तरीके से बसे ऐसे इलाकों के तौर पर परिभाषित किया जाता है जो सरकारी एजेंसियों की जमीन पर उनकी अनुमति के बगैर 'अतिक्रमण' करके बने हैं। आमतौर पर ये डीडीए, रेलवे, केंद्रीय लोक अभियंता विभाग, दिल्ली सरकार के किसी विभाग या दिल्ली की नगर पालिकाओं की जमीन पर बसे होते हैं। इसी के चलते आधिकारिक दस्तावेजों की भाषा में इन इलाकों को अतिक्रमण कहा जाता है।

साल 2011 में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (जो दिल्ली में झुग्गी–झोपड़ी बस्तियों के देखभाल के लिये जिम्मेदार है) के आंकलन के अनुसार शहर में 685 झुग्गी–झोपड़ी बस्तियां (जे. जे.सी.) थीं, जिनमें लगभग 4,18,282 झुग्गियां थीं। साल 2014 में, डी.यू.एस.आई.बी. ने दिल्ली की सभी झुग्गी–झोपड़ी बस्तियों में किये गए सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण के जरिये जुटाए आंकड़ों को जारी किया। इन हालिया आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में 672 झुग्गी–झोपड़ी बस्तियां हैं और उनमें 3,04,188 झुग्गियां हैं। इस प्रकार झुग्गी–झोपड़ी बस्तियों में दिल्ली की कुल आबादी का लगभग 10 फीसदी आबादी रहती है और ये बस्तियां 8.85 वर्ग किलोमीटर जमीन पर बनी हुई हैं जो दिल्ली के कुल क्षेत्रफल का 0.6 फीसदी है।

अलग–अलग प्रकार के रिहायशी इलाकों में रह रहे लोगों की तुलना में, झुग्गी–झोपड़ी बस्तियों के निवासियों को अपनी जमीन पर सबसे कम अधिकार मिले हैं और सबसे अधिक खतरा इन बस्तियों को तोड़े जाने को होता है जो हमेशा बना रहता है। इन बस्तियों के निवासियों को बुनियादी सुविधाओं पर भी कोई स्पष्ट अधिकार हासिल नहीं है, हालांकि सरकारी एजेंसियों ने इन रिहायशी इलाकों में सेवाओं का स्तर सुधारने के लिये कुछ मामूली प्रयास किये हैं।

झुग्गी–झोपड़ी पुर्नवास कॉलोनियां

दिल्ली के झुग्गी–झोपड़ी निवासियों ने साठ के दशक से अपनी बस्तियों को उनकी जगह से हटाए जाने और उन्हें दूसरी जगह बसाये जाने के तीन दौर देखें हैं। झुग्गी–झोपड़ी बस्तियों को हटाते समय जो भी निवासी योग्य पाये जाते हैं, उन्हें ऐसी जगहों पर प्लाट आवंटित कर दिया जाता है जिन्हें झुग्गी–झोपड़ी पुर्नवास कॉलोनी की श्रेणी में रखा जाता है। जिस नीति के तहत ये पुर्नवास कॉलोनियां स्थापित की गयीं, उसका मकसद शहरी नियोजन की व्यवस्था को लागू करना, बुनियादी सुविधायें मुहैया कराना और इन कॉलोनियों को ऐसे रिहायशी इलाकों के रूप में विकसित करना था जो झुग्गी–झोपड़ी बस्तियों की तुलना में काफी बेहतर हों। इसके बावजूद ये कॉलोनियां स्पष्ट तौर पर "नियोजित कॉलोनियों"

की श्रेणी से बाहर रहीं हैं और ज्यादातर को बुनियादी सुविधायें उनके बसने के कई सालों बाद मिल पायी हैं।

साठ के दशक में बस्तियों के पुनर्वास के पहले दौर में, 18 पुर्नवास कॉलोनियां स्थापित की गयीं। सत्तर के दशक में आपातकाल के चलते बस्तियों को एक जगह से दूसरी जगह बसाने का दूसरा दौर आया जिसमें ऐसी 26 पुनर्वास कॉलोनियां बनीं। ये कॉलोनियां उन झुग्गी–झोपड़ी बस्तियों से काफी दूर थीं, जहाँ से निवासियों को लाया गया था और ये 44 पुर्नवास कॉलोनियां शहर के छोर पर अलग–अलग जगह बनी थी। बस्तियों को एक जगह से दूसरी जगह बसाने का सबसे हालिया दौर साल 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों के लिये बुनियादी ढांचा विकसित करने के दौरान आया। इस दौरान दिल्ली की कई झुग्गी–झोपड़ी बस्तियों को 11 जगहों पर स्थानांतरित किया गया जिसमें ज्यादातर उत्तरी, उत्तर–पश्चिमी और पश्चिमी दिल्ली में थीं। इसमें सावदा–घेवरा, बवाना, होलाम्बी कलां, पप्पन कलां, रोहिणी और नरेला में बनी पुर्नवास कॉलोनियां शामिल थी जिसके चलते दिल्ली में पुर्नवास कॉलोनियों की कुल संख्या बढ़कर 55 हो गयी। इन 55 पुर्नवास कॉलोनियों में रहने वाली आबादी का कोई आधिकारिक आंकलन मौजूद नहीं है। सबसे विस्तृत आंकलन दिल्ली सरकार ने सितम्बर 2013 में पेश किया जिसके अनुसार पुनर्वास के सबसे पहले दो दौरों में स्थापित हुयी 44 पुर्नवास कॉलोनियों में 2,50,000 परिवार (लगभग 12,50,000 लोग) रहते हैं। इस आंकलन में हाल में बनी 11 पुर्नवास कॉलोनियों में रहने वाली आबादी शामिल नहीं थी।

अनाधिकृत कॉलोनियां

अनाधिकृत कॉलोनियाँ ऐसे रिहायशी इलाके हैं जो ज़ोनिंग के नियमों का उल्लंघन करके बनी हैं। ये कॉलोनियां या तो दिल्ली के मास्टर प्लान का उल्लंघन कर या फिर अवैध ढंग से बंटी हुयी खेती की जमीन पर बनी हुई होती हैं। इन अनाधिकृत कॉलोनियों पर मौजूद जानकारी के अनुसार, इन कॉलोनियों की दो विशिष्ट तरह की पहचानें हैं– पहली, ये इलाके अवैध रूप से प्लाटों में बांटे गए हैं और दूसरी, इन रिहायशी इलाकों में प्लाट के खरीददारों के पास दस्तावेज (जो ज्यादातर एक सामान्य पावर आफ अटार्नी के रूप में होते है) हैं जो कुछ हद तक जमीन पर मालिकाना हक को प्रमाणित करते हैं। कुछ इसे 'अर्ध–कानूनी' अधिकार भी मानते हैं। हालिया सालों में इन कॉलोनियों के नियमन के लिये सरकार ने एक नीतिगत ढांचा तैयार किया है और इन इलाकों को कानूनी दायरे में लाने की प्रक्रिया भी बनायी है।

साल 2013 में खुद दिल्ली सरकार के आंकलन के अनुसार, 1639 अनाधिकृत कॉलोनियों में 40,00,000 लोग रह रहे हैं। साल 2012 में, इन कॉलोनियों में से 895 कॉलोनियों को नियमन के योग्य पाया गया।

नियमित–अनाधिकृत कॉलोनियां

साठ के दषक से लेकर अस्सी के दषक की शुरुआत तक, सैकड़ों अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया गया। हालांकि ये साफ नहीं है कि किन शर्तों के तहत इन कॉलोनियों का नियमन किया गया। ऐसा लगता है कि डीडीए या तत्कालीन दिल्ली नगर निगम की स्थायी समितियों के प्रस्तावों के आधार पर इन कॉलोनियों का नियमन किया गया। कायदे से, नियमन के जरिये ये कॉलोनियां "नियोजित शहर" के दायरे में आ जानी चाहिये, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। नियमन के कई सालों के बाद भी इन कॉलोनियों को आज भी "नियमित–अनाधिकृत कॉलोनियां" कहा जाता है और इन्हें आज भी 'अनियोजित' रिहायशी इलाकों में ही गिना जाता है। हालांकि इन नियमित अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाली आबादी का कोई आंकलन मौजूद नहीं है, लेकिन दिल्ली सरकार के विभिन्न दस्तावेजों के अनुसार ऐसी कॉलोनियों की संख्या 567 है।

ग्रामीण गांव

ज्यादातर गांव दिल्ली के किनारों पर बसे ऐसे इलाकों में हैं जिन्हें दिल्ली का मास्टर प्लान "ग्रामीण" कहता है। आमतौर पर कृषि सम्बंधित गतिविधियां इन ग्रामीण इलाकों का मुख्य लक्षण है। दिल्ली के गांवों से संबंधित नीतिगत दस्तावेजों में "लाल डोरा" शब्द का जिक्र बार–बार मिलता है। साल 1908–09 में ग्रामीण इलाकों के कुछ हिस्सों को आधिकारिक तौर पर लाल धागे की मदद से लोगों के रहने ("आबादी") या गैर–कृषि गतिविधियों के लिये चिन्हित किया गया था। गांव के नक्षों में इन इलाकों को लाल स्याही की मदद से चिन्हित किया गया है। कृषि भूमि के विपरीत, लाल डोरा वाले इलाके से भू–राजस्व की परिधि में नहीं आते है। लाल डोरा क्षेत्र में जमीन के मालिकाना हक से जुड़ी कोई सूचना भू–राजस्व रेकॉर्डों में नहीं होती है, बल्कि यह अक्सर इस बात से तय होता है कि जमीन किसके पास है। गांव में "आबादी" वाली सीमा का निर्धारण करने वाली आधिकारिक संस्था दिल्ली सरकार का राजस्व विभाग है।

साल 1908 से लेकर 1950 के दशक तक, जैसे–जैसे जनसंख्या बड़ी, "आबादी" वाले हिस्से में भी स्वभाविक तौर पर बढ़ोत्तरी हुयी। साल 1952 की शुरुआत में नीति में इस वास्तविकता को स्वीकार करते हुए "लाल डोरा" क्षेत्रों का विस्तार कर दिया गया। हर गांव में, जहाँ आबादी क्षेत्र का विस्तार हुआ वहां ऐसे विस्तारों की सीमाओं को "फिरनी" नाम दिया गया, सामान्य तौर पर ये गाँव की किनारों पर सड़क थी। राजस्व विभाग, जो पहले आरंभिक दिल्ली प्रशासन और अब दिल्ली सरकार का हिस्सा है, ने इन नयी सीमाओं को चिन्हित किया। "लाल डोरा" और "फिरनी" सीमाओं के बीच के इलाकों को विस्तारित लाल डोरा क्षेत्र कहा जाता है। इन विस्तारित इलाकों में स्थित प्लाटों को भूमि राजस्व रिकार्डों में एक अलग यूनिट नंबर दिया जाता है। हर प्लाट पूर्ण स्वामित्व वाला आवासीय प्लाट होता है, जिसका स्वामित्व रिकार्ड भूमि राजस्व रिकार्डों में रखा जाता है। इसके अलावा पंजीकृत बिक्रीनामों के जरिये इन प्लाटों को खरीदा और बेचा जा सकता है।

वर्तमान में दिल्ली में 227 ग्रामीण गाँव हैं जो दिल्ली मास्टर प्लान के रूरल यूज़ ज़ोन में आते हैं। इन ग्रामीण इलाकों की

आवासीय इमारतों के निर्माण पर वे नियम लागू नहीं होते जो अन्य इलाकों पर लागू होते हैं।

शहरी गांव

समय–समय पर ग्रामीण गाँवों को दिल्ली नगर निगम एक्ट, 1957 के अनुच्छेद 507 के तहत अधिसूचित किया जाता है। इन गांवों को शहरी दायरे में लाने के लिए "शहरी गांवों" का दर्जा दे दिया जाता है। किसी गाँव के एक बार 'शहरी' घोषित होने पर, इसमें मौजूद "लाल डोरा" क्षेत्र समाप्त हो जाता है और मास्टर प्लान, ज़ोनल प्लान, या संबंधित एरिया डेवलपमेंट प्लान और निर्माण सम्बन्धी प्रावधान लागू हो जाते हैं।

वर्तमान में, दिल्ली में 135 शहरी गांव हैं। इन गांवों को 1963 से 1994 के दौरान शहरी दायरे में लाया गया था। अगर एक बार किसी गांव को दिल्ली के शहरी क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है तो इसके बाद गांव की भूमि को दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम के अनुच्छेद 22 (1) के तहत अधिसूचित किया जा सकता है। जिसके जरिये डी.डी.ए. को यह अधिकार मिल जाता है कि वह विकास के लिए इस जमीन का प्रयोग कर सके। दिल्ली सरकार के हालिया आंकड़ों के अनुसार, साल 1974 से 80 गांवों को इस प्रकार अधिसूचित किया जा चुका है।

आलोचना

डी.यू.ई.आई.आई.पी. द्वारा प्रकाशित साल 2000 के आबादी के आंकड़ों पर अगर गौर से निगाह डालें तो इन आंकड़ों पर सवाल खड़े होते हैं। सारणी दिखाती है कि दो अलग तरह के रिहायशी इलाकों की जनसंख्या बिलकुल बराबर है और इस तरह के दो जोड़े हैं : झुग्गी–झोपड़ी पुर्नवास कॉलोनियों और नियमित अनाधिकृत कॉलोनियों दोनों की आबादी 17.76 लाख है और अनाधिकृत कॉलोनियों और ग्रामीण इलाकों दोनों की आबादी 7.40 लाख है। आबादी के आंकड़ों में इस हद तक समानता सामान्य तौर पर संदेह पैदा करती है।

यहाँ इस बात पर जोर देना जरूरी है कि ऐसा लगता जरूर है कि रिहायशी इलाकों का वर्गीकरण बहुत स्पष्ट अंतरों के आधार पर किया गया है, लेकिन इस वर्गीकरण में बहुत सी अस्पष्टताएं हैं। यहां तक कि अक्सर नियोजित कॉलोनियां भी कुछ इस तरह से विकसित होती हैं कि विभिन्न श्रेणियों के बीच के अंतर अस्पष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, डीडीए द्वारा बनायी गयी नियोजित कॉलोनियों में निवासी अपने फ्लैटों के निर्माण के बाद भी फ्लैटों के डिजाइन बदल सकते हैं या उनका विस्तार कर सकते हैं। कभी–कभी निवासी कई सालों के बाद भी ऐसा करते हैं। झुग्गी–झोपड़ी बस्तियों और अनाधिकृत कॉलोनियों के बीच हाल में देखी गई कुछ समानताएं भी इन आठ श्रेणियों की तर्कसंगतता पर सवाल उठाती हैं। साल 2012 में जिन 895 अनाधिकृत कॉलोनियों को "नियमन के लिए योग्य" माना गया, उनमें से 583 कॉलोनियां पूरी या आंशिक रूप से सार्वजनिक जमीन पर स्थित थीं। यह तथ्य उस समझ पर सवाल उठाता है जिसके अनुसार दो तरह के रिहायशी इलाकों, झुग्गी–झोपड़ी बस्ती और अनाधिकृत कॉलोनियों, के बीच अंतर किया जाता है। जिसके अनुसार यह माना जाता है कि झुग्गी–झोपड़ी बस्तियों का निर्माण बगैर अनुमति के सार्वजनिक जमीनों पर किया जाता है, जबकि अनाधिकृत कॉलोनियों का निर्माण केवल दिल्ली के मास्टर प्लान का उल्लंघन कर निजी भूमि पर किया जाता है। अगर इन दो तरह के रिहायशी इलाकों के बीच यह अंतर नहीं है तो भौतिक रूप से एक जैसी लगने वालीझुग्गी–झोपड़ी बस्तियों और अनाधिकृत कॉलोनियों में अंतर कैसे किया जाए?

इस तरह की अस्पष्टता अनाधिकृत कॉलोनियों और गांवों के बीच भी देखी जा सकती है। साल 2007 तक जिन 1639 अनाधिकृत कॉलोनियों ने नियमन के लिये आवेदन किया था उनमें से 140 से ज़्यादा का वर्गीकरण ऐसी कॉलोनियों के रूप में हुआ था जो "गांव की आबादी के विस्तार के रूप में और गांव के लाल डोरा इलाके के बाहर बनीं"। दूसरे शब्दों में, जिसे मौजूदा गांव की स्वभाविक बढ़ोत्तरी के तौर पर देखा जाना चाहिये था, उसको नयी अनाधिकृत कॉलोनियों के रूप में एक अलग श्रेणी में बांट दिया गया जहाँ जमीन पर अधिकार से जुड़े मुद्दे बिलकुल अलग थे।

कुछ रिहायशी इलाकों को अलग–अलग नीतिगत दस्तावेजों में अलग–अलग श्रेणियों में रखा गया है। उदाहरण के लिये कुसुमपुर पहाड़ी (जो इस परियोजना के तहत अध्ययन किये जा रहे रिहायशी इलाकों में से एक था), झुग्गी–झोपड़ी बस्ती और गांव, दोनों श्रेणियों में शामिल है।

अधिक सूचना के लिए

अनियोजित रिहायशी इलाकों और उनसे जुडी महत्वपूर्ण नीतिगत प्रक्रियाओं से जुड़ें जिन मुद्दों का जिक्र इस संक्षिप्त नोट में किया गया है, उनसे जुड़ी विस्तृत सूचना सिटिज ऑफ डेल्ही की रिपोर्टों में है. यह रिपोर्टें यहाँ उपलब्ध हैं: citiesofdelhi-org/reports/